पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

कंपनी सचिवालय

दिनांक: 29.06.2020

सं. :1:05:126 (3):1:सीएस

कार्यालय आदेश सं.04/आईटीसी/2020

विषय: - ट्रेडिंग विंडो बंद होने संबंधी

i. "पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता एवं अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता' के खंड 8.0.2 के अनुसार, एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों एवं सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (कर मुक्त बॉण्ड आदि) में व्यापार करने के लिए ट्रेडिंग विंडो दिनांक जुलाई 1, 2020 से जून 30, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम की घोषणा के पश्चात अड़तालीस (48) घंटे की समाप्ति तक बंद रहेगी। ट्रेडिंग विंडो दिनांक जून 30, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा के पश्चात अड़तालीस (48) घंटे के बाद खुलेगी।

ii. उपर्युक्त को देखते हुए, सभी नामित कार्मिकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान पीएफसी के इक्विटी शेयरों एवं सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों सहित कंपनी की प्रतिभूतियों में ट्रेड न करें।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 23 मई, 2019 के हमारे परिपत्र में यथासूचित अनुसार, सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया जाता है कि वे आवश्यक अनुपालन के लिए यह सुनिश्चित करें कि यह अधिसूचना कंपनी के साथ संविदा आधार अथवा वैश्वासिक (fiduciary) संबंध व्यक्तियों जैसे लेखापरीक्षकों, लेखा फर्मों, कानून फर्मों, विश्लेषकों, सलाहकारों आदि को सूचित की जाए।

(मनोहर बलवानी)

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सभी संबंधित व्यक्ति ("पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता एवं अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटन के लिए व्यवहार एवं प्रक्रिया संहिता' में यथापरिभाषित) - ई-मेल / कंपनी की वेबसाइट/नोटिस बोर्ड के माध्यम से

प्रतिलिपि:

क. कंपनी सचिव, पीएफएफसीसीएल

ख. कंपनी सचिव, आरईसी लिमिटेड (इस अनुरोध के साथ की वे अपनी संबंधित कंपनियों में संबंधित व्यक्तियों को कार्यालय आदेश सूचित करें)।